



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : ल००अ०वि० / सम्ब० / २०२० / १४३६-

दिनांक : ०४-०६- २०२०

सेवा में

१. प्र०० एस०के० रायजादा, विभाग-गणित एवं साहित्यकी, डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।

-आचार्य

२. डॉ० वृज विलास पाण्डेय, विभाग-भूगोल, काठगुण्डा केतू पी०जी० कालेज, अयोध्या।

-विशेषज्ञ सदरश्य

३. डॉ० के०री० वर्मा, प्राचार्य, सलकीय डिग्री कालेज, मुसाफिरखाना, अमेठी।

-सदरश्य/सचिव

विषय- **श्यामबक्ष सिंह महाविद्यालय हलियापुर-सुलतानपुर को परास्तातक स्तर पर पर कला संकाय के अन्तर्गत ए००५० गृहविज्ञान, भूगोल विषय में स्वपितपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र २०२०-२१ से सम्बद्धता (विधाई) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

आप ऐसे अनुरोध हैं कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का रथलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सापूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जायेंगे, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन बहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुगोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार वांछित अन्य अवस्थाओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हो जाएगी। निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०डी० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योरता के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न विनुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है-

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की विधि।
2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से संबंधित खत्तानी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्राप्तित होने की विधि।
3. महाविद्यालय की भूमि के सामरत गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्राप्तित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्राप्तित होने की विधि, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का विवरण गाटों एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पठ्यक्रम में अनापति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं विधि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटों पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिष्ट होने की विधि में सदर्नगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की विधि।
6. सोसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा सस्था की विगत तीन वर्षों की सी०५० द्वारा प्राप्तित बैलेंस सीट अन्यथा की विधि में तहसीलदार द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोरायटी/महाविद्यालय के बचत खातों में अद्यतन जगा धनराशि।
8. मानकानुसार प्रमूल धनराशि जगा होने की विधि।
9. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आव्याहित एवं सही हैं को ५० रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यपित शपथ पत्र मूल रूप में होने की विधि।
10. स्नातकोत्तर विधयों हेतु यूजी०सी० की घास २५० में पंजीकृत होने की विधि।
11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थानी सम्बद्धता प्राप्त होने की विधि तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थाओं सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट विधि, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित:-
 - a) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
 - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की विधि।
 - c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की विधि।
 - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की विधि में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की विधि (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैरा लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट विधि।
13. प्राक्तिपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थाओं सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट विधि, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित:-
 - a) महाविद्यालय में याचिनि पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
 - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की विधि।
 - c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की विधि।
 - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की विधि में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की विधि।



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

(प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, मैरा लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आव्याप्ति।

e) मानकानुसार शिक्षकों के प्रश्नपत्रालय के द्वारा अनुग्रहन एवं निपुक्ति की संविदा अवधि ।

- महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, प्र०पी०एस०, सी०पी०प्र० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की रिक्ति।
 - प्रबन्ध समिति के गठन व अनुग्रहादान की रिक्ति।
 - निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की रिक्ति।
 - सामूहिक नकल का आरोप न होने की रिक्ति(प्रमाण संलग्न करें)।
 - नियुक्त अनुग्रहादाता प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन गुमतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
 - नेशनल शिल्पिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का मवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अभियन्त्रण की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
 - निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अप्हरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
 - निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट रास्तातीति (रास्ताहृ अथवा अरथाहृ)।

उपरोक्त पादयक्तम् गेस समवद्धता (स्थायी) के अवेदन की स्थिति में अनुग्रहित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक / संचिव के साथ तथा वीडियोप्राप्ति की सीधीता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सतर-2-2014-16(165)/2012टी०री० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तत्त्वम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अकेत किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय गांगने के सम्बन्ध में लिखित साक्ष निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। तथा उनके प्रांगना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा साझगति की दशा में आगामी तिथि निश्चित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निर्धारित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (हेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित हेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशान्सार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमान्सार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निरेश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समर्ता व्यव जिसमें ₹०१००/- /₹०१०० एवं अन्य व्यव समिलित हैं का मुग्हतान विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण-आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अग्रिमेख सालग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षायिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गोट-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा मामीरता रो निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि सम्पत्ति से स्वयं अकिञ्चित की जाये।

कोरेना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बंधी मारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सगय-समय पर निर्भत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिवर्ष्यों के अधीन होगा।

भारतीय

उप-कालसंविव

प्रतिलिपि-१. प्रबन्धक / संवित (शायमबवश सिंह महाविद्यालय, हलियापुर-सुलतानपुर) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सामर्क स्थापित कर गहविद्यालय का निरीक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की रिखति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित ०३ कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-१९ से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुश्कात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यतापूरी सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्राम, ईडीटीपी सेल को इस आशय से प्रेरित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लौंग-इन पर अपलोड करने का काट करें।

उप-कूलसंवित्